

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

23 JUN 2026

क्रमांक/ 4806 /मीटिंग/2026

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

समस्त न्यायालय,
जिला एवं तहसील न्यायालय उज्जैन म.प्र.।

विषय — न्यायालयों में पदस्थ साक्ष्य लेखक को व्ही.सी. कॉर्डिनेटर नियुक्त किये जाने बाबत।

संदर्भ — जिला न्यायालय उज्जैन में आपराधिक विधि प्रशासन (ICJS) समिति की मीटिंग दिनांक 13.06.2026 के अनुक्रम में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथाआदेशानुसार लेख है कि संदर्भित मीटिंग में दिये गये निर्देशों एवं पूर्व में प्रेषित कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6649/25 उज्जैन दिनांक 28.06.2026 के पालन में आपके न्यायालयों में पदस्थ साक्ष्य लेखक को व्ही.सी. कॉर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उक्त संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही न्यायालयों के समस्त प्रकरणों एवं क्लेम/आपराधिक प्रकरणों में शासकीय चिकित्सक के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यथासंभव दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त संबंध में संबंधित शासकीय चिकित्सक को समन/वारंट जारी किये जाने पर आपके न्यायालय में पदस्थ साक्ष्य लेखक (व्ही.सी. कॉर्डिनेटर) का नाम एवं व्ही.सी. लिंक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।


वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन जिला (म.प्र.)